न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :– 8/2017

बउनवान

सुमेर सिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री देवीलाल जाति मीणा निवासी भगवानपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1– कैलाश बाई पुत्री मांग्या जाति चमार निवासी असनावर हाल निवासी उदपुरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)

2– बरफा बाई पुत्री मांग्या जाति चमार निवासी असनावर हाल निवासी जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बारॉ (राज.)

3– प्रेमनारायण पुत्र धूलीलाल जाति माली निवासी असनावर तहसील छीपाबडौद जिल बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रकरण संख्या 2/2014 मे पारित आदेश दिनांक 11.01.2017 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट जिसकी अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट क.1,2)**

निर्णय दिनांक 28.06.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 2/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 11.01.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 6.2.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहे है। रेस्पोडेन्ट क्रम 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के कानून के अनुसार विवेचन न करके भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड के ऊपर उपलब्ध समस्त तथ्यों का विवेचन न करके भारी भूल की है।

यह कि ग्राम असनावर तहसील छीपाबडौद मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 404 रकबा 11 बीस्वा, 406 रकबा 11 बीस्वा, 984/946 रकबा 9 बीघा 9 बीस्वा, खसरा नम्बर 1001/405 रकबा 1 बीघा 5 बीस्वा कुल 4 किता रकबा 11 बीघा 16 बीस्वा भूमि स्थित है। जिसके बाबत रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने दिनांक 07.07.2014 को अपीलांट के विरूद्व धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र लगाया एवं यह कहा कि सुमेर सिंह ने 4 वर्ष पूर्व हमारी उपरोक्त आराजी को जबरन कब्जा कर लिया व फसल बो दी। इसलिये उससे कब्जा छुडवाकर हमे कब्जा दिलवाया जावे। अपीलांट ने अधीनसि न्यायालय मे अपना जवाब प्रस्तुत किया, उसमे यह बताया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के पिता मांग्या ने लगभग 25 वर्ष पूर्व उसके जीवनकाल मे यह जमीन बेचान करके बेचाननामा दिनांक 09.05.1990 को हुआ था, तभी से इस भूमि पर अपीलांट काबिज है। पटवार मण्डल असनावर की रिपोर्ट दिनांक 15.3.2016 के अनुसार उपरोक्त भूमियों मे से 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर कैलाश बाई, बरफाबाई का ही कब्जा है तथा शेष भूमियो पर सुमेर सिंह पुत्र देवलाल भगवानपुरा का कब्जा है। इस समर्थन मे सुमेर सिंह ने अपना शपथ पत्र दिनांक 04.01.2016 का पेश किया था। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वर्ष 1990 से है एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र वर्ष 2014 मे पेश किया गया है, जो बैरून मियाद है। क्योकि धारा 183 (बी) की मियाद 12 वर्ष है। वर्ष 1990 से मियाद तक रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 ने कोई कार्यवाही नही की क्योकि रेस्पोडेन्ट की शादी काफी वर्षो पूर्व हो गई थी ओर वह तभी से अपने ससुराल मे रहती है। क्योकि कैलाश बाई की उम्र 52 वर्ष है एवं बरफा बाई की उम्र 48 वर्ष है इस प्रकार दोनो की शादियो को लगभग 30 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और पिछले 30 वर्ष से उन्होने कभी जमीन का काश्त नही किया। इनके पिता मांग्या को भी फोत हुये 20 वर्ष से अधिक समय हो गया है एवं मांग्या के मरने के बाद भी कभी भी रेस्पोडेन्ट भूमि काश्त करने नही आयी ओर ना ही अपीलांट से कब्जे की मांग की इस कारण रेस्पोडेन्ट का 183 (बी) का प्रार्थना पत्र भी बैरून मियाद था इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया। अपील उचित न्याय शुल्क पर पेश की गई है जो न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार की है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 11.01.2017 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद प्रकरण संख्या 2/2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रकरण संख्या 2/2014 बउनवान कैलाश बाई वगै. बनाम प्रेमनारायण वगै. मे पारित निर्णय दिनांक 11.01.2017 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत पारित किया गया है। जिसमे किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 2/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 11.01.2017 एवं सम्पूर्ण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया है। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधी अनुरूप उक्त निर्णय पारित किया गया है जिसमे हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

अतः परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 2/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 11.01.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां